मुकदमों का विवरण

परनगौड़ा और एक और बनाम।

कर्नाटक और अन्य राज्य (2023 की आपराधिक अपील संख्या 3274)

19 अक्टूबर, 2023

[एस**.** रवींद्र भाट और अरविंद कुमार**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःक्या निचली अदालतों को अभियुक्त को दोषी ठहराने और सजा सुनाने में न्यायसंगत ठहराया गया था या नहीं, यह दंडनीय यू/एस है।498 ए, 304 बी को एस के साथ पढ़ा जाता है।34 भारतीय दंड संहिता और एसएस।3 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4; चाहे अभियुक्त को यू/एस द्वारा दोषी ठहराया गया हो।304 बी भारतीय दंड संहिता सी. टिकाऊ होगा; और क्या अभियुक्त को दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।306 भारतीय दंड संहिता सी. हालांकि कथित अपराध के लिए आरोपित नहीं है।

दंड संहिता**, 1860-**एस**.** एस**.498** ए**, 304** बी आरडब्ल्यू एस।**34, 306 –** विवाहित महिलाओं के खिलाफ क्रूरता**-**आत्महत्या के लिए उकसाना**-**आरोपी**-**पति और ससुराल वालों ने मृतक**-**पत्नी को दहेज की मांग के लिए ऐसी क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया कि वह आत्मदाह करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए**-**पत्नी की मृत्यु घोषणा दर्ज करना और उसके बाद उसने जलने की चोटों के कारण दम तोड़ दिया**-**अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराना दंडनीय यू**/**एस है।**498** ए**, 304** बी**/34** और एस।**3** और दहेज निषेध अधिनियम के **4** और तदनुसार सजा**-**न्यायः

आयोजित किया गयाःमृत्यु घोषणा के अवलोकन से स्पष्ट रूप से वही वास्तविक, सत्य होने का पता चलता है और निर्माता ने सच्ची कहानी कही है-मृत्यु घोषणा से यह नहीं पता चलता है कि पूर्ववर्ती दहेज की मांग या किसी विशेष तिथि पर दहेज की मांग के कारण आत्महत्या करने के कार्य के साथ कोई निकट संबंध था, जिसने मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया या उसे आत्मदाह करने के लिए मजबूर किया-निकट संपर्क उपलब्ध नहीं होने के कारण, धारा 304 बी के तहत आरोपी की दोषसिद्धि अनुचित थी और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है और इसे दरकिनार कर दिया जाता है-मृत्यु घोषणा को मृतक द्वारा किए जाने के लिए स्वीकार किए जाने और उसी की सामग्री के प्रकाश में यह खुलासा करते हुए कि वह मानसिक रूप से आघातग्रस्त थी, 924 की यातना का सामना करने में असमर्थ थी।

बाहर, जिसके परिणामस्वरूप उसने आत्महत्या कर ली, अभियुक्त को दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त होगा।498 ए-यह तानाशाही या मानसिक यातना है जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया-इस प्रकार, आरोपी व्यक्तियों को दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।306 यद्यपि आरोप विरचित नहीं किया गया था-जहां तक आयु वर्ग के अभियुक्तों के संबंध में, पहले से चली गई सजा की अवधि को देखते हुए, और आपराधिक रिकॉर्ड का कोई पिछला इतिहास नहीं होने के कारण, सजा को लागू करते समय एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है-नीचे दी गई अदालतों द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को संशोधित किया जाता है-अपीलकर्ताओं को दंडनीय यू/एस के लिए बरी कर दिया जाता है।304 बी और एसएस।3 और दहेज निषेध अधिनियम के 4 और दंडनीय यू/एस. एस. के लिए दोषी ठहराया गया।306 और 498 ए को एस के साथ पढ़ा जाता है।34 और पहले से ही दहेज निषेध अधिनियम-एस. एस. से गुजर चुकी अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई।3 और 4.[पारस 13,17,19,21,29,30]

दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973 -**धारा **215-**त्रुटियों का प्रभाव**-**किसी अभियुक्त को उस अपराध के लिए दोषी ठहराना जिसके लिए उस पर विशिष्ट रूप से आरोप नहीं लगाया गया हो**-**अनुमति**-**अभियुक्त पर अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाना दंडनीय यू/एस एस है। **498** ए**, 304** बी भारतीय दंड संहिता और एस**.** एस**.3** और डी**.** पी**.** अधिनियम की धारा **4,** यदि दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।**306** भारतीय दंड संहिता सी**.** हालांकि कथित अपराध के लिए आरोपित नहीं हैः

आयोजित किया गयाःआरोप विरचित करने में चूक न्यायालय को अभियुक्त को उस अपराध के लिए दोषी ठहराने से अक्षम नहीं करती है जो रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर साबित हुआ है-तथ्यों पर, यू/एस द्वारा बनाए गए आरोप के बयान से।304 बी और वैकल्पिक एस में।306, यह स्पष्ट है कि ऑफ एनस यू/एस के लिए शुल्क तैयार करने के लिए सभी तथ्य और सामग्री।306 अस्तित्व में था-केवल एस का उल्लेख करने के लिए परीक्षण न्यायाधीश की ओर से चूक।306 भारतीय दंड संहिता सी. 498 ए के साथ इस न्यायालय को अभियुक्त को उक्त अपराध के लिए दोषी ठहराने से नहीं रोकेगा जब यह साबित हो जाता है-यू/एस के तहत विरचित गए आरोप में।304 बी, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मृतक की मृत्यु घोषणा से संकेत मिलता है कि मृतक मानसिक रूप से आघातग्रस्त थी और वह आरोपी व्यक्ति द्वारा दी गई यातना और उत्पीड़न को बर्दाश्त करने में असमर्थ थी, जिसके कारण उसने आत्मदाह करके आत्महत्या कर ली और इस तरह विशिष्ट सी आरोप को न बनाना घातक नहीं होगा क्योंकि आरोपी के साथ कोई अन्याय नहीं किया जा रहा है-इस प्रकार, अभियुक्त व्यक्ति दंडनीय यू/एस के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। 306 हालांकि आरोप विरचित नहीं किया गया था-दंड संहिता, 1860-एस. एस.304 बी, 307-दहेज निषेध अधिनियम-एस. एस.3 और 4.[पैरा 27,29] 925

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

सलीम गुलाब पठान बनाम महाराष्ट्र राज्य (2012) 6 एस. सी. सी. 606; अतबीर बनाम सरकार (2010) 9 एस. सी. सी. 1; कमलावा और अन्र बनाम कर्नाटक राज्य (2009) 13 एस. सी. सी. 614; बंसीलाल बनाम हरियाणा राज्य (2011) 11 एस. सी. सी. 359; शेर सिंह उर्फ प्रताप बनाम हरियाणा राज्य (2015) 1 एस. सी. आर. 29; दिनेश सेठ बनाम एन. सी. टी. दिल्ली राज्य (2008) 14 एस. सी. सी. 94; दलबीर सिंह बनाम यू. पी. राज्य। (2004) 5 एस. सी. सी. 334; के. प्रेमा एस. राव और अन्र बनाम यादला श्रीनिवास राव और

अन्य (2003) 1 एस. सी. सी. 217-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 3274।

2012 के सी. आर. एल. ए. No.2847 में धारवाड़ में कर्नाटक उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

गणेश कुमार आर., मंजूनाथ मेलेड, संदीप शर्मा, श्रीमती विजयलक्ष्मी उदपुडी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

प्रतीक के. चड्ढा, ए. ए. जी., वी. एन. रघुपति, मनेन्द्र पाल गुप्ता, श्रीकर ए., सुश्री मुस्कान सिंगला, सुश्री प्रज्ञा गंजू, शुभ्रांशु पाधी, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय अरविंद कुमार, जे।

1. अनुमति दी गई।

2. कर्नाटक उच्च न्यायालय , धारवाड़ पीठ द्वारा 2012 की आपराधिक अपील को खारिज करते हुए सत्र न्यायाधीश, बागलकोट द्वारा 2011 की एस. सी. में अपीलार्थियों को दोषी ठहराते हुए पारित निर्णय और सजा के आदेश को खारिज करते हुए भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 498 ए, 304 बी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 (संक्षेप में 'डी. पी. अधिनियम') के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए प्रश्न में बुलाया गया है।

वास्तविक पृष्ठभूमि

3. शिकायतकर्ता (श्री चंदप्पा गूली) की तीसरी बेटी अक्कमहादेवी की शादी दूसरे प्रतिवादी/आरोपी नंबर 1 से हुई थी।मृतक के पिता श्री चंदप्पा गूली ने 20.12.2010 पर एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि दहेज के रूप में एक लाख रुपये दिए गए हैं। शादी के समय 31,000 और डेढ़ तोला सोना दिया गया और रुपये का अतिरिक्त दहेज दिया गया। शादी के दो महीने बाद 50,000 और सोने की मांग की गई।यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी नंबर 1 और उसके माता-पिता (अपीलकर्ता) ने अपनी बेटी को शारीरिक और मानसिक यातना दी और उसे सहन करने में असमर्थ होकर उसने मिट्टी का तेल डालकर और बिजली जलाकर आत्महत्या कर ली।20.12.2010 पर एक मृत्यु घोषणा दर्ज की गई और जलने की चोटों के कारण 24.12.2010 पर उसकी मृत्यु हो गई।शुरू में भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 323,498 ए और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 504 और डी. पी. अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए 2010 के अपराध No.143 में एफ. आई. आर. दर्ज की गई और 24.12.2010 पर उनकी मृत्यु पर भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 बी जोड़ी गई।जाँच के पूरा होने पर आरोप-पत्र दायर किया गया और क्षेत्राधिकार वाले सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त व्यक्तियों अर्थात् पति-अभियुक्त संख्या 1 (आर-2), अपीलार्थी संख्या 1 और 2 (अभियुक्त संख्या 2 और 3) और श्रीमती के खिलाफ कथित अपराध का संज्ञान लिया। निंगम्मा ने आरोपी नं. 4.अभियोजन पक्ष की ओर से, 32 गवाहों से पीडब्लू-1 से पीडब्लू-32 के रूप में पूछताछ की गई और उन्होंने 50 दस्तावेजों को Ex.P-1 से पी-50 के रूप में और तीन भौतिक वस्तुओं को एमओ 1 से एमओ 3 के रूप में चिह्नित किया। अभियोजन पक्ष के बंद होने पर, अभियुक्तों से पूछताछ की गई और उनके बयान भी दंड प्रक्रिया संहिता धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए। अभियुक्त संख्या 4 (अभियुक्त संख्या 3 की माँ) की अवधि 28.02.2012 पर समाप्त हो गई थी और इस तरह उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो गई थी।विद्वान लोक अभियोजक और अभियुक्त संख्या 1 से 3 की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, उन्हें उनके खिलाफ कथित अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया।विद्वत विचारण न्यायाधीश ने मृत्युदंड की घोषणा (Ex.P.45) पर भरोसा करते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराया था और उन्हें धारा 304 बी के अंतर्गत अपराध के लिए 7 साल के साधारण कारावास, दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अपराध के लिए पांच साल के साधारण कारावास, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए आर/डब्ल्यू धारा 34 के

अंतर्गत अपराध के लिए एक साल के साधारण कारावास और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अपराध के लिए एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। प्रत्येक अभियुक्त के लिए डी. पी. अधिनियम की धारा 498 ए, 304 बी और धारा 4 के अंतर्गत प्रत्येक अपराध के लिए 1000 रुपये और चूक में 927 के लिए और सरल कारावास से गुजरना होगा।

3 महीने की अवधि, और रु। डी. पी. अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत तीन महीने की डिफ़ॉल्ट सजा के साथ प्रत्येक के लिए 31,000।सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था।

4. उक्त निर्णय से व्यथित होने के कारण, अपील को विभिन्न आधारों पर और मुख्य रूप से इस आधार पर प्राथमिकता दी गई कि मृतक को 70-80% की सीमा तक दम घुटने से जलन हुई थी और वह बोलने की स्थिति में नहीं थी।यह भी तर्क दिया गया कि डॉक्टर पीडब्लू-32, जिन्होंने यह प्रमाणित किया था कि मृतक बोलने में सक्षम था, ने केस-शीट में मृतक का रक्तचाप और नाड़ी की दर भी दर्ज नहीं की थी और इलाज किए गए डॉक्टर पीडब्लू-31 ने यह भी स्वीकार किया है कि अस्पताल में भर्ती होने के समय मृतक की सामान्य स्थिति खराब थी।यह भी आग्रह किया गया कि निचली विचारण न्यायालय के समक्ष उपलब्ध साक्ष्य की उचित परिप्रेक्ष्य में सराहना नहीं की गई और केवल मृत्यु घोषणा ही दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता जब तक कि इसकी पुष्टि नहीं की गई हो।यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों में से कोई भी अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं करता है और वे मुकर गए हैं और इस तरह विद्वान सत्र न्यायाधीश को आरोपी व्यक्तियों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए था।

5. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 18 के माध्यम से अपने विचार के लिए बिंदु तैयार करने के बाद, अभियोजन पक्ष के पक्ष में और अभियुक्त के खिलाफ तैयार किए गए बिंदुओं का जवाब देते हुए कहा कि मृत्यु घोषणा ठीक से दर्ज की गई थी और यह उसी की सामग्री और उसी को दर्ज करने वाले तहसीलदार के साक्ष्य के साथ-साथ डॉक्टर पीडब्लू-31 के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए साबित होता है, जिन्होंने मृतक का इलाज किया था और मृतक महादेवी का केस शीट जारी किया था।इसलिए यह अपील की गई है।

6. हमने पक्षों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं।अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मृत्यु घोषणा न तो सच है और न ही मृतक का स्वैच्छिक बयान है क्योंकि वह कोई घोषणा करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम नहीं थी और निर्विवाद रूप से मृतक के माता-पिता ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया था।उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिस डॉक्टर ने मृतक की जांच की थी और उसका इलाज किया था, उसने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि मृतक को अस्पताल लाए जाने पर सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसने यह भी प्रमाणित किया था कि वह 70

से 80 प्रतिशत तक जल गई थी और इस तरह वह शारीरिक और मानसिक रूप से किसी भी तरह की घोषणा करने या कोई बयान देने में असमर्थ थी।

/

[2023] 15 एस सी आर।

7. इसके विपरीत, दोनों अदालतों के निर्णय का समर्थन करते हुए राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान स्थायी वकील श्री वी. एन. रघुपति ने कहा कि नीचे दी गई अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निर्णयों को हटाने के लिए कोई ठोस सामग्री नहीं है।उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मृत्यु की घोषणा को केवल इसलिए दरकिनार नहीं किया जा सकता है क्योंकि मृतक 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक जल गया था और यह दोषसिद्धि को दरकिनार करने का आधार नहीं हो सकता है।वह प्रस्तुत करेगा कि डॉक्टर पीडब्लू-31 ने स्पष्ट शब्दों में बयान दिया था कि मृतक बयान देने के लिए मानसिक रूप से अक्षम था और इस तरह मृतक की बयान देने की मानसिक क्षमता के संबंध में कोई संदेह नहीं उठाया जा सकता है जिसमें उसने अपने आत्मदाह के कारण बताए थे।इसलिए, वह अपील को अस्वीकार करने के लिए प्रार्थना करता है।

चर्चा, निष्कर्ष और निष्कर्ष

8. ऊपर वर्णित तथ्य इस बात की जांच करने के लिए पर्याप्त होंगे कि क्या नीचे दिए गए न्यायालयों के आदेशों को बनाए रखने या संशोधित करने या अलग रखने की आवश्यकता है।तथ्यात्मक पहलुओं का विस्तृत वर्णन केवल इस निर्णय पर बोझ डालेगा और इसलिए हम आवश्यक सीमा को छोड़कर ऐसा करने से बचते हैं।9. दूसरे प्रतिवादी और श्रीमती अक्कमहादेवी के बीच 16.05.2010 पर विवाह का अनुष्ठान विवाद में नहीं है।24.12.2010 पर 20.12.2010 पर लगी जलने की चोटों के कारण उनकी मृत्यु भी विवाद में नहीं है।

9.1 अभियोजन पक्ष के मामले का सार यह है कि दहेज की लगातार मांग की जा रही थी और मृतक को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था और उसे दी गई शारीरिक और मानसिक यातना को बनाए रखने में असमर्थ होने के कारण उसने मिट्टी का तेल डालकर और खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली थी।9.2 शिकायतकर्ता, पीडब्लू-24, जो मृतक के पिता हैं, ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्होंने बयान दिया है कि आरोपी ने मृतक की अच्छी तरह से देखभाल की थी।पीडब्लू-24 (मृतक के पिता) की गवाही लंबी और छोटी है कि उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।जाँच पंचनामे के पीडब्लू-1 गवाह भी मुकर गए हैं।जिस घर में मृतक रह रहा था, उसके पड़ोसी पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 मुकर गए हैं।पीडब्लू-5 और पीडब्लू-21 जिनका अभियोजन पक्ष ने मृतक के साथ अभियुक्त द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के तथ्य को जानने का दावा किया था, वे मुकर गए हैं।जिन लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आरोपी को मृतक के साथ बुरा व्यवहार न करने की सलाह दी थी, वे भी मुकर गए हैं।व्यक्ति 929

जो मृतक की शादी की बातचीत के दौरान मौजूद थे और आरोपी नंबर 1 अर्थात् पीडब्लू-7 से पीडब्लू-9 ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।पीडब्लू-10,11,12,19,18,30 जैसे अन्य गवाहों के साथ-साथ मृतक पीडब्लू-22 की मां ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।डॉ. सुरेश बसरकोड (PW.26), जिन्होंने बगलकोट के कुमारेश्वर अस्पताल के आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित केस शीट प्रस्तुत की, जहां मृतक को भर्ती किया गया था, ने बयान दिया है कि डॉ. प्रमोद मिर्जी (पीडब्लू-31) और डॉ. विश्वनाथ महादेवी (मृतक) को दिए गए चिकित्सा उपचार के बारे में बोलने में सक्षम हैं।लेकिन डॉ. विश्वनाथ की जांच नहीं की गई।

9.3 डॉ. प्रमोद मिर्जी की जांच पीडब्लू-31 के रूप में की गई है और उन्होंने कहा है कि मृतक होश में थी और वह दर्द की शिकायत कर रही थी।उन्होंने आगे निम्नलिखित प्रभाव अधिनियम को अपदस्थ कर दिया हैः

"रोगी होश में थी और वह दर्द की शिकायत कर रही थी।चेहरे को छोड़कर पूरे शरीर पर जलने की चोटें थीं।घायल को 70% -80% की जलती हुई चोटें हैं।रोगी बोलने की स्थिति में था।वह मेरा इलाज कर रही थी जब तक कि सुबह लगभग 5.15 बजे उसअंतर्गत मृत्यु नहीं हो गई। अब मुझे पता चलता है कि यह उक्त घायल व्यक्ति के केस शीट अंतर्गत ज़ेरॉक्स कॉपी है।केस शीट Ex.P-46 अंतर्गत मैंने उल्लेख किया है कि रोगी दर्द और नाड़ी के कारण पीड़ा अंतर्गत था और बी. पी. रिकॉर्ड करने योग्य नहीं था और इसलिए मैंने राय दी है कि रोगी की सामान्य स्थिति खराब थी।" उसकी प्रतिपरीक्षा के अवलोकन से संकेत मिलता है कि उसने चार दिनों तक मृतक का इलाज किया था और प्रवेश के दिन नाड़ी की दर और रक्तचाप दर्ज नहीं किया गया था और इसे केस शीट में खाली रखा गया है।46. वह यह भी स्वीकार करता है कि केस शीट में प्रविष्टियां यह दर्शाती हैं कि मृतक की सामान्य स्थिति खराब थी।वह आगे स्वीकार करता है कि मृतक का रक्तचाप रिकॉर्ड करने योग्य नहीं था और नाड़ी कमजोर थी।वह आगे स्वीकार करता है कि Ex.P-46 (केस शीट) में पाई गई प्रविष्टियों के अनुसार मृतक को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी।उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि भले ही रोगी होश में था, लेकिन कभी-कभी रोगी बात करने की स्थिति में नहीं था।

9.4 डॉ. महालिंगप्पा कोरी (पीडब्लू32), जो कुमारेश्वर अस्पताल, बागलकोट में प्रासंगिक अवधि के दौरान सीएमओ थे, जब मृत्यु घोषणा (Ex.P-45) दर्ज की गई थी, ने बयान दिया है कि वह 2 से 20.12.2010 पर अस्पताल में आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम कर रहे थेः00 पीएम से 8:00 पीएम। उन्होंने आगे कहा कि तहसीलदार (पीडब्लू25) ने घायल महादेवी की मृत्यु घोषणा दर्ज करने का इरादा व्यक्त किया था और उन्होंने अनुरोध किया था

उसे बयान दर्ज करने के समय उपस्थित होना चाहिए।उनका कहना है कि उन्होंने उस समय महादेवी की जाँच की थी और वह होश में थी और बोलने की स्थिति में थी।उनका यह भी कहना है कि महादेवी का बयान 4 के बीच दर्ज किया गया था:20 पीएम से 5:15 पीएम। उन्होंने मृत्यु घोषणा पर एक्स-पी45 (बी) में अपने समर्थन और हस्ताक्षर की पहचान की है।

10. कहा जाता है कि तालुका के कार्यकारी मजिस्ट्रेट बसप्पा लक्ष्मीप्पा गोथे पीडब्लू-25 ने एक्स. पी.-45 के अनुसार मृतक की मृत्यु की घोषणा दर्ज की, जिसके आधार पर आरोपी को निचली विचारण न्यायालय ने दोषी ठहराया है और उच्च न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया है। पीडब्लू 25, जो संबंधित अवधि के दौरान बागलकोट में तहसीलदार थे, ने बयान दिया है कि वे बागलकोट में 08/07/2009 से 27/04/2011 तक तहसीलदार के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने अपदस्थ किया है कि डॉ. महालिंगप्पा कोरी (पीडब्लू 32) उस समय मौजूद थे जब उन्होंने 4 से महादेवी का बयान दर्ज किया था:20 पीएम से 5:15 पीएम। वह आगे बयान देता है कि डॉ. एम. सी. कोरी ने मृतक से बात की थी और पाया कि वह बयान देने की स्थिति में थी।वह आगे बयान देता है कि वह इस बात को लेकर भी आश्वस्त था कि महादेवी को बयान देना चाहिए था।उन्होंने अपने द्वारा दर्ज किए गए बयान की पहचान एक्स-पी45 के रूप में की है और एक्स-पी45 में पाए गए मृतक के एलटीएम की भी पहचान की है।उन्होंने अपदस्थ कर दिया है कि बयान दर्ज करने के पूरे समय डॉक्टर मौजूद थे और एक्स-पी45 (बी) के रूप में चिह्नित डॉक्टर के हस्ताक्षर और समर्थन की पहचान की गई है।पीडब्लू25 ने पूछताछ पंचनामा (Ex.P-1) भी किया था और रेनाव्वा चंदप्पा गुली (पीडब्लू22) का बयान दर्ज किया था और उसने पीडब्लू22 (पूर्व) के बयान पर पाए गए अपने हस्ताक्षर की पहचान की है। पी40) Ex.P-40 (ए) के रूप में।उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि मृतक महादेवी ने कोई बयान नहीं दिया था।

11. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने निर्णय का उल्लेख किया है

सलीम गुलाब पठान बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में यह न्यायालय

(2012) 6 एस. सी. सी. 606 के तहत यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मृत्यु घोषणा ही दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है यदि यह न्यायालय के पूर्ण विश्वास को प्रेरित करता है।एतबीर बनाम सरकार (2010) 9 एस. सी. सी. 1 के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर भी सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराने के लिए भरोसा किया है, जिसके तहत यह माना गया है कि मृत्युदंड की घोषणा ही दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है।

“(क) यदि यह न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करता है कि बयान देने के समय मृतक मानसिक स्थिति में था और यह उकसाने या कल्पना का मामला नहीं था;

(ख) यह सच और स्वैच्छिक है और आगे किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है; (ग) यह संदिग्ध नहीं है। "

इसमें यह भी देखा गया है कि पुष्टि की आवश्यकता वाला नियम केवल विवेक का नियम है। यदि मृत्यु घोषणा से पता चलता है कि मृतक बेहोश था या कभी कोई बयान नहीं दे सकता था, तो दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।यहां तक कि संक्षिप्त विवरण का उल्लेख न करना भी उक्त घोषणा को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है और संक्षिप्त बयान पर्याप्त होगा।यदि अभिलेख पर साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक बयान या घोषणा करने की स्थिति में नहीं था, तो चिकित्सा राय प्रबल नहीं हो सकती है।

12. तत्काल मामले में, हम तथ्यों से देखते हैं कि मृतक ने आत्मदाह कर लिया था।पीडब्लू-25 द्वारा दर्ज मृत्यु घोषणा Ex.P-45 के एक सादे पठन से संकेत मिलता है कि मृतक द्वारा आत्मदाह का कारण आरोपी व्यक्तियों द्वारा दी गई यातना को सहन करने में असमर्थता थी और वह इसका सामना करने में सक्षम नहीं थी और इस तरह उसने कृषि भूमि में आत्मदाह कर लिया।जलने की चोटों के कारण उसके द्वारा उत्पन्न शारीरिक अक्षमता उसे बयान देने के लिए अयोग्य नहीं ठहराएगी, अगर कहा गया बयान उसके परिणामों को जानते हुए जानबूझकर दिया गया था और इस तरह के बयान या घोषणा को केवल जलने की चोटों (तत्काल मामले में 70 से 80 प्रतिशत) के आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है।इस प्रकार, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है या दूसरे शब्दों में मृत्यु घोषणा को दरकिनार नहीं किया जा सकता है।निम्न न्यायालय द्वारा मृत्यु घोषणा की स्वीकृति केवल एक उचित है और इसी तरह की परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने अंतर्गत लव्वा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2009) 13 एस. सी. सी. 614 के मामले में यह निर्णय दिया है कि उन परिस्थितियों में भी जहां जलने की चोटें 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक थीं, मृत्यु घोषणा को स्वीकार किया जा सकता है और इसे आगे निम्नलिखित प्रभाव तक रखा गया है।

“20. अगला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो उठाया गया था, वह मृतक द्वारा उसकी मृत्यु से पहले की गई मृत्यु घोषणा की स्वीकार्यता के बारे में है।मृत्यु घोषणा के तथ्यात्मक पहलू से निपटने से पहले, सटीक कानूनी स्थिति को जानना आवश्यक होगा जिसे इस न्यायालय द्वारा बार-बार निर्धारित और दोहराया गया है।

/

[2023] 15 एस सी आर।

21. इस न्यायालय के समक्ष कई मामलों में मृत्यु घोषणा की स्वीकार्यता के बारे में प्रश्न उठा।लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य, जिसमें मृत्यु घोषणा की स्वीकार्यता के बारे में भी एक प्रश्न उठाया गया था, संविधान पीठ ने कहा कि न्यायालय को यह निर्णय लेना चाहिए कि

घोषणा करने वाला घोषणा करने के लिए मानसिक स्थिति में था, लेकिन जहां एक मजिस्ट्रेट के साक्ष्य सहित चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य, जिसने उस प्रभाव की मृत्यु घोषणा दर्ज की थी, उपलब्ध था, केवल घोषणा करने वाले की मानसिक स्थिति के बारे में डॉक्टर के प्रमाण का अभाव, मृत्यु घोषणा को वास्तव में अस्वीकार्य नहीं बनाएगा।आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस तरह की मृत्यु घोषणा का साक्ष्य मूल्य प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

22. लक्ष्मण मामले में उक्त निर्णय के पैरा 3 में, इस न्यायालय ने मृत्यु घोषणा की स्वीकार्यता के संबंध में न्यायिक सिद्धांत पर निम्नलिखित तरीके से चर्चा कीः(एस. सी. सी. पी. 713)

"3. मृत्यु घोषणा की स्वीकार्यता के बारे में न्यायिक सिद्धांत यह है कि ऐसी घोषणा चरम सीमा में की जाती है, जब पक्ष मृत्यु के बिंदु पर होता है और जब इस दुनिया की हर आशा समाप्त हो जाती है, जब झूठ का हर उद्देश्य शांत हो जाता है, और आदमी केवल सच बोलने के लिए सबसे शक्तिशाली विचार से प्रेरित होता है।इसके बावजूद, कई परिस्थितियों के अस्तित्व के कारण साक्ष्य की इस प्रजाति को दिए जाने वाले महत्व पर विचार करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए जो उनकी सच्चाई को प्रभावित कर सकती हैं।जिस स्थिति में एक आदमी मृत्युशय्या पर होता है वह इतनी गंभीर और शांत होती है, यही उसके बयान की विधि को स्वीकार करने का कारण है। "

23. लक्ष्मण मामले में संविधान पीठ ने कोल चुनीलाल सावजल बनाम गुजरात राज्य मामले में इस न्यायालय के पहले के एक फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मृत्यु घोषणा की स्वीकार्यता के संबंध में अंतिम परीक्षा यह है कि क्या मृत्यु घोषणा को सच्चा माना जा सकता है और स्वेच्छा से दिया जा सकता है।उक्त निर्णय में यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि घोषणा को अभिलिखित करने से पहले, संबंधित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि घोषणाकर्ता बयान देने की स्थिति में था।कोली चुनिलाल सावजी मामले के उपरोक्त अनुपात को लक्ष्मण मामले 1 में संविधान पीठ द्वारा स्वीकार किया गया था।

933

परनगौड़ा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 934

24. विकास बनाम महाराष्ट्र राज्य में इस न्यायालय ने मृत्यु घोषणा की वैधता को नियंत्रित करने वाले पिछले प्रासंगिक निर्णयों पर विस्तार से चर्चा की और पैरा 45 में निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः(एस. सी. सी. पीपी. 529-30)45. न्यायालय ने पूर्ववर्ती मामले विधि का उल्लेख करते हुए मृत्यु घोषणा को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दियाः(पानीबेन मामला, एस. सी. सी. पीपी. 480-81, पैरा 18)

(i) न तो विधि का शासन है और न ही विवेक का कि मृत्यु घोषणा पर बिना पुष्टि के कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

((ii) यदि न्यायालय को संतुष्ट किया जाता है कि मृत्यु घोषणा सत्य और स्वैच्छिक है तो वह बिना किसी पुष्टि के उस पर दोषसिद्धि का आधार बना सकता है।

(iii) इस न्यायालय को मृत्यु घोषणा की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि घोषणा शिक्षण, प्रेरणा या कल्पना का परिणाम नहीं है।मृतक के पास हमलावरों का निरीक्षण करने और उनकी पहचान करने का अवसर था और वह घोषणा करने की स्थिति में था।

((iv) जहां मृत्यु घोषणा संदिग्ध है, उस पर बिना पुष्टि करने वाले साक्ष्य के कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

(v) जहां मृतक बेहोश था और कभी भी मृत्यु की घोषणा नहीं कर सकता था, उसके संबंध में साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।(vi) एक मृत्यु घोषणा जो अनंत काल से पर्याप्त है, दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती है।

(vii) केवल इसलिए कि मृत्यु घोषणा में घटना के बारे में विवरण नहीं है, इसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

(vii) समान रूप से, केवल इसलिए कि यह एक संक्षिप्त कथन है, इसे त्याग नहीं दिया जाना चाहिए।

इसके विपरीत, कथन की संक्षिप्तता ही सत्य की गारंटी देती है।((ix) आम तौर पर न्यायालय स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि क्या मृतक मानसिक स्थिति में था, मृत्यु घोषणा करने के लिए चिकित्सा राय की जांच करता है।लेकिन जहां प्रत्यक्षदर्शी ने कहा है कि मृतक इस मृत्यु की घोषणा करने के लिए सचेत स्थिति में था, चिकित्सा राय प्रबल नहीं हो सकती है।

(x) जहां अभियोजन पक्ष का संस्करण मृत्यु घोषणा में दिए गए संस्करण से अलग है, वहां उक्त घोषणा पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

/

[2023] 15 एस सी आर।

25. खुशाल राव बनाम बॉम्बे राज्य मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करने के बाद, विकास मामले में इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को दोहराया कि जहां एक सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु घोषणा दर्ज की जाती है, यह बहुत उच्च स्तर पर खड़ी होगी क्योंकि एक सक्षम मजिस्ट्रेट के पास पीड़ित की मृत्यु घोषणा में नामित व्यक्ति के खिलाफ पीसने के लिए कोई कुल्हाड़ी नहीं होती है और परिस्थितियों के अभाव में उसके विपरीत कुछ भी दिखाई देता है, अदालत द्वारा उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। "

13. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारा विचार है कि तत्काल मामले में मृत्यु घोषणा, जिसे नीचे की अदालतों द्वारा स्वीकार किया गया था, विशेष रूप से उस व्यक्ति द्वारा दिए गए

साक्ष्य की पृष्ठभूमि में दोषपूर्ण नहीं पाया जा सकता है, जिसने इसे दर्ज किया था और वह प्रतिपरीक्षा में अपने आधार पर खड़ा था और इस तरह का बयान देने की उसकी मानसिक क्षमता के बारे में बात की थी और वह भी सचेत रूप से।डॉ. एम. सी. कोरी पीडब्लू-32, जिनकी उपस्थिति में पीडब्लू-25 द्वारा मृत्यु घोषणा Ex.P-45 दर्ज की गई थी, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक महादेवी होश में थी और वह बोलने की स्थिति में थी।मृत्यु घोषणा को दर्ज करने के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है।तत्काल मामले में मृत्यु घोषणा का अवलोकन स्पष्ट रूप से वही वास्तविक होने का सुझाव देता है और निर्माता ने सच्ची कहानी बताई है। उसी से गुजरने पर, यह हमारे दिमाग में दिखाई देता है क्योंकि यह निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय को वास्तविक, सच और संदेह से दूषित या रहस्य से घिरा हुआ नहीं प्रतीत होता है।मरने वाली घोषणा Ex.P-45 की सामग्री घटना की घटना के संभावित स्पष्टीकरण का सुझाव देती है और यह निर्माता का सच्चा संस्करण भी प्रतीत होता है।

14. आनुषंगिक प्रश्न जो हमारे विचार के लिए भी उत्पन्न होगा वह हैःक्या धारा 304 बी के अंतर्गत अभियुक्त की दोषसिद्धि टिकाऊ होगी?धारा 304 बी के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए एक आरोपी को दोषी ठहराने के लिए संतुष्ट किए जाने वाले तत्व हैंः

" (i) एक महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट के कारण या सामान्य अंतर्गत िस्थितियों के अलावा अन्य किसी कारण से होनी चाहिए।

((ii) ऐसी मृत्यु उसकी शादी के सात साल के भीतर हुई होनी चाहिए थी।

((iii) उसे उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा होगा।

935

परनगौड़ा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 936

((iv) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में होना चाहिए।

(v) इस तरह की क्रूरता या उत्पीड़न महिला के साथ उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले किया गया था। "

15. बंसीलाल बनाम हरियाणा राज्य (2011) 11 के मामले में यह न्यायालय

एस. सी. सी. 359 ने अभिनिर्धारित किया है कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 बी के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, अपराध के मुख्य तत्वों में से एक जिसे स्थापित करने की आवश्यकता है, वह यह है कि "उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले", उसे "दहेज की मांग के संबंध में" क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था।यह आगे आयोजित किया गया हैः"20. इसलिए, यदि अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसी मृत्यु के आवश्यक तत्व स्थापित किए गए हैं, तो यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह यह अनुमान लगाए कि आरोपी दहेज के कारण मृत्यु

का कारण बना है।यहाँ यह उल्लेख करना भी उचित हो सकता है कि "उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले" अभिव्यक्ति को किसी भी क़ानून में लागू नहीं किया गया है।इसलिए, प्रत्येक मामले में, न्यायालय को पीड़ित की मृत्यु के लिए तथ्यों और परिस्थितियों का विश्लेषण करना होता है और यह तय करना होता है कि दहेज की मांग और क्रूरता या उत्पीड़न के कार्य के बीच कोई निकट संबंध है या नहीं।

मृत्यु।(टी. अरुणपेरुनजोथी बनाम राज्य; देवी लाल बनाम राजस्थान राज्य; राजस्थान राज्य बनाम जग्गू राम; आनंद कुमार बनाम एम. पी. राज्य। और उंडवल्ली नारायण राव बनाम ए. पी. राज्य।

16. शेर सिंह उर्फ प्रताप बनाम हरियाणा राज्य (2015) 1 एससीआर 29

यह आयोजित किया गया है:"16. जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304-बी को उनके संबंधित कानूनों में एक साथ पेश किया गया था और इसलिए, यह सामान्य रूप से माना जाना चाहिए कि संसद ने जानबूझकर धारा 304-बी में "मानित" शब्द का उपयोग इस प्रावधान को दूसरों से अलग करने के लिए किया था।वास्तव में, हालांकि, इन प्रावधानों को एक समझदार और कानूनी रूप से स्वीकार्य अर्थ देना लगभग असंभव है, जब तक कि "दिखाया" शब्द का उपयोग "साबित" के पर्याय के रूप में नहीं किया जाता है और "माना" शब्द का उपयोग "समझा" शब्द के साथ स्वतंत्र रूप से विनिमेय के रूप में नहीं किया जाता है।सिविल और फाइस्केल विधि के क्षेत्र में, परिस्थितियों के एक समूह को दर्शाने के लिए "डीम" शब्द के सामान्य अर्थ को आयात करना मुश्किल नहीं है, जो वास्तव में जो हैं उसके विपरीत माना जाता है।हालाँकि, आपराधिक कानून में इसे अपनाना अनुचित है।

/

[2023] 15 एस सी आर।

रट्टे से संपर्क करें।हमारे पास संविधान पीठ का उच्च अधिकार है

इस न्यायालय के त्रावणकोर-कोचीन बनाम षण्मुघा विलास दोनों मामलों में

काजू कारखाना [ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 333] और स्टेट ऑफ टी. एन. बनामअरूरन शुगर लिमिटेड [(1997) 1 एस. सी. सी. 326], जिसमें न्यायालय से "मानित" शब्द के उपयोग द्वारा लाए गए वैधानिक निर्णय के पीछे के उद्देश्य का पता लगाने की आवश्यकता होती है ताकि कानून को पूरा प्रभाव दिया जा सके और इसे इसके तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाया जा सके।हम यह जोड़ सकते हैं कि आम तौर पर यह माना जाता है कि खंडन करने योग्य और साथ ही निर्विवाद अनुमान हैं, बाद वाले अक्सर एक मानित प्रावधान के माध्यम से वास्तविकता के रूप में एक कृत्रिमता मानते हैं।किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी ठहराना आपराधिक न्यायशास्त्र के लिए घृणित है, भले ही उसका न तो इसे करने का

इरादा था और न ही उसके आयोग में सक्रिय भागीदारी।यह गहन चिंतन के बाद है कि हम भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304-बी में "दिखाए गए" शब्द का अर्थ वास्तव में "साबित" के रूप में निकालना अनिवार्य समझते हैं।दूसरे शब्दों में, यह साबित करना अभियोजन पक्ष का काम है कि "दहेज मृत्यु" हुई है, अर्थात्, (i) किसी महिला की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में उसे जलाने या शारीरिक रूप से घायल होने के कारण हुई है।

((ii) उसकी शादी के सात साल के भीतर,

((ग) और यह कि वह अपने पति या अपने पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार हुई थी,

((iv) दहेज की किसी भी मांग के संबंध में, और

(v) कि उसके साथ की गई क्रूरता या उत्पीड़न का दहेज की मांग के साथ एक कारण संबंध या एक जीवित संबंध बना रहा।

हम जानते हैं कि "जल्द" शब्द धारा 304-बी में आता है; लेकिन हम इसके उपयोग की व्याख्या दिनों या महीनों या वर्षों के संदर्भ में नहीं करना पसंद करेंगे, बल्कि यह आवश्यक रूप से इंगित करते हैं कि दहेज की मांग बासी या अतीत का विचलन नहीं होनी चाहिए, बल्कि धारा 304-बी के अंतर्गत मृत्यु या भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 305 के अंतर्गत आत्महत्या का निरंतर कारण होना चाहिए। एक बार जब अभियोजन पक्ष द्वारा इन सह-अभियुक्तों की उपस्थिति स्थापित हो जाती है या दिखाई जाती है या साबित हो जाती है, यहां तक कि संभावना की अधिकता से भी, निर्दोषता की प्रारंभिक धारणा को अभियुक्त के अपराध की धारणा से बदल दिया जाता है, जिसके बाद उस पर सबूत का भारी बोझ स्थानांतरित हो जाता है और उसे उचित संदेह से परे अपने अपराध को दूर करने के लिए सबूत पेश करने की आवश्यकता होती है।हमें ऐसा लगता है कि संसद का क्या इरादा था

"मानित" शब्द का उपयोग करके यह कहा गया था कि केवल साक्ष्य की प्रधानता पति या उसके परिवार के सदस्यों को उनके अपराध से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।यह व्याख्या अभियुक्त को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका प्रदान करती है।यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 का अभिधारणा भी है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304-बी का उद्देश्य, हमारी राय में, विवाह के सात वर्षों के भीतर किसी महिला की आत्महत्या या मृत्यु के मामले में सबूत की कमी या अनुपस्थिति का मुकाबला करना है।यदि "दिखाया गया" शब्द का सामान्य अर्थ दिया जाना है तो इसके लिए अभियोजन पक्ष को केवल न्यायालय में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जरूरी नहीं कि मौखिक बयान के माध्यम से, और इसके बाद अभियुक्त को विस्तृत साक्ष्य

का नेतृत्व करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा अनुसरण किया जाए।यह प्रक्रिया सामान्य विधि प्रणालियों के लिए अज्ञात है, और सी. आर. पी. सी. के विचार से परे है।

17. तत्काल मामले में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, मृतक के माता-पिता और अन्य गवाह जिन्होंने दहेज की कथित मांग के संबंध में आई. ओ. के समक्ष अपना बयान दर्ज किया था, उन्होंने अपने कदम वापस ले लिए हैं या दूसरे शब्दों में शत्रुतापूर्ण रुख अपनाया है और अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है और पुलिस के समक्ष ऐसा कोई बयान देने से इनकार किया है।जो भी हो सकता है।यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि मृतक द्वारा आई. डी. 1 के अनुसार की गई मृत्यु घोषणा वास्तविक है और जब उक्त घोषणा पर विचार किया जाता है तो यह सुझाव नहीं देता है कि दहेज की पूर्व मांग या दूसरे शब्दों में किसी विशेष तिथि पर दहेज की मांग के कारण आत्महत्या करने के कार्य में कोई निकट संबंध था, जिसने मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया या उसे आत्मदाह करने के लिए मजबूर किया।वर्तमान मामले में प्राप्त तथ्यों में यह निकट संबंध उपलब्ध नहीं होने के कारण, हमारा विचार है कि धारा 304 बी के अंतर्गत अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।

18. विधि के उपरोक्त विश्लेषण में, जब हम तथ्यों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह अभिलेख से सामने आएगा कि अपीलकर्ता-अभियुक्त व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 498 ए, 304 बी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए कारावास निर्धारित करती है जो 3 साल तक बढ़ सकता है और इसके अंतर्गत स्पष्टीकरण के दो भाग हैं।पहला भाग एक विवाहित महिला को किसी भी जानबूझकर किए गए आचरण के लिए क्रूरता के अधीन करने से संबंधित होगा।

/

[2023] 15 एस सी आर।

ऐसी प्रकृति जो उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे या गंभीर चोट या जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) के लिए खतरा पैदा करे।धारा 498 ए के दूसरे भाग यानी खंड (बी) से संकेत मिलता है कि क्रूरता में एक विवाहित महिला का उत्पीड़न शामिल होगा, जहां इस तरह का उत्पीड़न उस पर या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर किसी भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए दबाव डालने की दृष्टि से किया जाता है, क्योंकि वह या उससे संबंधित कोई व्यक्ति ऐसी मांग को पूरा करने में विफल रहता है।

19. दिनेश सेठ बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य (2008) 14 एस. सी. सी. 94,

इस न्यायालय ने दो धाराओं यानी 304 बी और 498 ए की चौड़ाई और दायरे की जांच की है और इसे अलग माना गया है।धारा 304 बी विवाह के 7 वर्षों के भीतर क्रूरता या उत्पीड़न के

परिणामस्वरूप मृत्यु के मामलों से संबंधित है।जबकि धारा 498 ए का दायरा व्यापक है और इसमें वे सभी मामले शामिल हैं जिनमें पत्नी को उसके पति या पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप आत्महत्या के माध्यम से मृत्यु हो सकती है या गंभीर चोट लग सकती है या जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) के लिए खतरा हो सकता है या यहां तक कि महिला या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने की दृष्टि से उत्पीड़न किया जा सकता है।हम यहाँ पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि मृतक के लिए आत्मदाह करने के लिए कोई सांठगांठ नहीं है क्योंकि ऐसी मांग उसकी मृत्यु से ठीक पहले की गई थी।इस प्रकार हमारी राय है कि धारा 304 बी के अंतर्गत अभियुक्त/अपीलार्थियों को दोषी ठहराना अनुचित था या अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा था कि मृत्यु हुई थी और उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले अपीलार्थियों द्वारा उसे क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था।

20. यह दिनेश सेठ (सुप्रा) के मामले में हुआ है।

“24. दहेज संबंधी मामलों के बढ़ते खतरे की पृष्ठभूमि में 1983 के अधिनियम 46 में संशोधन करके भारतीय दंड संहिता सी. में धारा 498-ए को जोड़ा गया था, जिसमें महिलाओं को क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता था और उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता था।इस धारा में कहा गया है कि यदि पति या उसका रिश्तेदार किसी महिला को क्रूरता का शिकार बनाता है, तो वह तीन साल तक की अवधि के कारावास से दंडित होने के लिए उत्तरदायी है और दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा।इस धारा के साथ जोड़ा गया स्पष्टीकरण "क्रूरता" शब्द का अर्थ किसी भी जानबूझकर किए गए ऐसे आचरण से है जो महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) के लिए गंभीर चोट या खतरा पैदा करता है; या महिला का उत्पीड़न जहां ऐसा उत्पीड़न 939 है।

उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने की दृष्टि से या उसकी या उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण है।25. तीन वर्षों के बाद, विवाह के सात वर्षों के भीतर होने वाली दहेज मृत्यु से जुड़े मामलों से निपटने के लिए 1986 के अधिनियम 43 में संशोधन करके धारा 304-बी को जोड़ा गया था।भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304-बी की उप-धारा (1) अंतर्गत कहा गया है कि जहां किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होती है और यह दिखाया गया है कि उसकी मृत्यु से तुरंत पहले उसे उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध अंतर्गत क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, ऐसी मृत्यु

को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा और ऐसे पति या रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।उप-धारा (1) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, उसमें प्रयुक्त "दहेज" शब्द का वही अर्थ है जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में निहित है।

26. क्रूरता का घटक भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304-बी और 498-ए में समान है, लेकिन दोनों धाराओं का विस्तार और दायरा अलग-अलग है, क्योंकि धारा 304-बी विवाह के सात वर्षों के भीतर क्रूरता या उत्पीड़न के परिणामस्वरूप मृत्यु के मामलों से संबंधित है, धारा 498-ए में एक व्यापक वर्णक्रम है और इसमें उन सभी मामलों को शामिल किया गया है जिनमें पत्नी को उसके पति या पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता का शिकार होना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप आत्महत्या के रूप में मृत्यु हो सकती है या जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) के लिए गंभीर चोट या खतरा हो सकता है या यहां तक कि संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए महिला या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को मजबूर करने के लिए उत्पीड़न किया जा सकता है। "

21. धारा 498 ए का व्यापक दायरा होने के कारण, इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या आरोपी को धारा 498 ए के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना है या दूसरे शब्दों में, सत्र न्यायालय द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दोषसिद्धि के आदेश को लागू किया जाना चाहिए, भले ही धारा 304 बी के अंतर्गत दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया गया हो।इस तथ्य के बावजूद कि अभियुक्तों को धारा 304 बी के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए बरी कर दिया गया है, धारा 498 ए उन मामलों को शामिल करेगी जिनमें पत्नी को पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का सामना करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप आत्महत्या के रूप में मृत्यु हो सकती है या गंभीर चोट लग सकती है या जीवन को खतरा हो सकता है।

/

अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक हो या शारीरिक)।मृतक द्वारा मृत्यु घोषणा (Ex.P-45) को स्वीकार किए जाने और उसी की सामग्री के प्रकाश में यह खुलासा करते हुए कि वह यातना का सामना करने में असमर्थ थी, जिसके परिणामस्वरूप उसने आत्महत्या कर ली, धारा 498 ए के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

22. यह हमें अगले प्रश्न पर ले जाता है कि क्या आरोपी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, हालांकि उस पर कथित अपराध के लिए आरोप नहीं लगाया जा सकता है।दलबीर में इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई

सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू. पी. (2004) 5 एस. सी. सी. 334 जहाँ ऑफ-एनस के लिए आरोप लगाया जाता है।

अभियुक्त के खिलाफ धारा306 के अंतर्गत आरोप विरचित नहीं किए गए थे, हालांकि अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा302,498 ए और 304 बी के अंतर्गत आरोपों के संबंध में मुकदमे का सामना करना पड़ा था, जैसा कि तत्काल मामले में हुआ है, जहां अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए, 304 बी और डी. पी. अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया है और इस न्यायालय ने दलबीर सिंह के मामले में निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचकर जवाब दिया थाः

"17. इसी तर्ज पर इस न्यायालय के कई निर्णय हैं और उनमें से प्रत्येक का संदर्भ देकर इस निर्णय पर बोझ डालना आवश्यक नहीं है।इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 464 को ध्यान में रखते हुए, अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय के लिए किसी आरोपी को उस अपराध के लिए दोषी ठहराना संभव है जिसके लिए कोई आरोप नहीं विरचित गया था, जब तक कि न्यायालय की राय न हो कि न्याय की विफलता वास्तव में अवसर देगी।यह निर्धारित करने के लिए कि क्या न्याय की विफलता हुई है, यह जांच करना प्रासंगिक होगा कि क्या अभियुक्त को अपराध के मूल तत्वों के बारे में पता था जिसके लिए उसे दोषी ठहराया जा रहा है और क्या उसके खिलाफ स्थापित किए जाने वाले मुख्य तथ्यों को उसे स्पष्ट रूप से समझाया गया था और क्या उसे अपना बचाव करने का उचित मौका मिला था। इसलिए, हमारी राय है कि संगरबोयना श्रीनु [(1997) 5 एस. सी. सी. 348:1997 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 690] को सही ढंग से तय नहीं किया गया था क्योंकि यह विधि के एक सिद्धांत के रूप में निर्धारित करने का तात्पर्य है कि जहां आरोपी पर भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत आरोप लगाया जाता है, उसे भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 86 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

18. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की अब ऊपर चर्चा किए गए सिद्धांत के आलोक में जांच की जा सकती है।निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी एक स्पष्ट निर्णय दर्ज किया है और जिसके साथ हम पूरी तरह से सहमत हैं कि आरोपी ने शादी के तुरंत बाद दहेज की मांग करना शुरू कर दिया था।उनके ससुर के 941 होने के बाद भी

उसे एक रंगीन टीवी, एक स्कूटर और फ्लैट खरीदने के लिए पैसे दिए जाने पर, वह संतुष्ट नहीं हुआ और अपनी पत्नी को परेशान करता रहा।वह अक्सर उसे ताना मारता था कि शादी के समय उपहार के रूप में दिए गए कुछ सामान खराब गुणवत्ता के थे और उनके मानक के नहीं थे।उसने कई मौकों पर अपनी पत्नी और यहां तक कि अपनी सात साल की बेटी पर

भी हमला किया था।यह ऐसी परिस्थितियों में था कि विमला ने न केवल खुद को फिल्म में स्थापित करने का चरम कदम उठाया, बल्कि अपनी दो बेटियों को भी, जिनमें से एक केवल एक साल की थी।इस तरह का चरम कदम उठाने से ठीक पहले विमला द्वारा लिखा गया पत्र आरोपी द्वारा उसके साथ किए गए व्यवहार के बारे में बहुत कुछ बताता है।इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत अपराध के बुनियादी तत्वों को स्थापित किया गया है।अभियोजन पक्ष द्वारा भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498-ए के अंतर्गत आरोप को साबित करने और यह दिखाने के लिए कि आरोपी का हत्या का अपराध करने का उद्देश्य था, जिसके लिए उस पर वास्तव में आरोप लगाया गया था, अभियोजन पक्ष द्वारा मामले की इन विशेषताओं को स्थापित करने की मांग की गई थी। गवाहों से जिरह से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष के मामले के उपरोक्त पहलू को ध्वस्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया था, अर्थात्, न तो दहेज की कोई मांग की गई थी और न ही बाद के चरण में आरोपी द्वारा कोई उपहार या उपहार या धन प्राप्त किया गया था और विमला को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या दुर्व्यवहार का शिकार नहीं किया गया था। अगला प्रश्न यह देखा जाना चाहिए कि क्या आरोपी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने बयान में अभियोजन पक्ष के मामले की उपरोक्त विशेषताओं का सामना करना पड़ा था। उनका बयान छह पृष्ठों का है जिसमें ऊपर उल्लिखित अभियोजन पक्ष के मामले के हर पहलू को उनके सामने रखा गया था।उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 (2) के अनुसार एक लंबा लिखित बयान भी दिया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि विमला ने आत्महत्या की थी।उसने यह भी स्वीकार किया कि स्कूटर और रंगीन टीवी बाद में उसे उसके ससुराल वालों द्वारा दिए गए थे, लेकिन उसने एक दलील दी कि उसने पैसे दिए थे और उसे अपने ससुराल वालों से खरीदा था।अभियोजन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसे उसके सामने नहीं रखा गया हो।इसलिए, हमारी राय है कि अभिलेख पर सामग्री को देखते हुए, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के अंतर्गत दोषसिद्धि को सुरक्षित रूप से दर्ज किया जा सकता है और इसका परिणाम किसी भी तरह से न्याय की विफलता नहीं होगा। रिकॉर्ड से पता चलता है कि आरोपी को 29-3-1991 पर हिरासत में लिया गया था और 20-3-1997 पर उच्च न्यायालय के फैसले के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया था और इस प्रकार वह लगभग छह साल के कारावास से गुजर चुका है।हमारी राय में,

/

[2023] 15 एस सी आर।

पहले से गुजर चुकी अवधि (विचाराधीन और दोषसिद्धि के बाद) न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी। "

22. दिनेश सेठ के मामले (ऊपर) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कुछ स्थितियों में, एक अभियुक्त को उस अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जिसके लिए उस पर विशेष रूप से आरोप नहीं लगाया गया हो और आरोप तय करने में त्रुटि, चूक या

अनियमितता, अपने आप में दोषसिद्धि को बाधित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।इस सामान्य नियम का एकमात्र अपवाद जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 464 से देखा जा सकता है, जब तक कि अभियुक्त न्याय की विफलता का प्रदर्शन करने में सक्षम न हो, वास्तव में इसके कारण हुआ है।इसके तहत यह आयोजित किया गया हैः

"21. निरस्त किए गए निर्णयों का अनुपात यह है कि कुछ स्थितियों में एक अभियुक्त को एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जिसके लिए उस पर विशेष रूप से आरोप नहीं लगाया गया हो और आरोप तय करने में एक त्रुटि, चूक या अनियमितता, अपने आप में दोषसिद्धि को परेशान करने के लिए पर्याप्त नहीं है।अपीलीय, न्यायिक या पुनरीक्षण न्यायालय ऐसे मामलों में केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब यह दिखाया गया हो कि आरोप तय करने में त्रुटि, चूक या अनियमितता ने अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया है और न्याय की विफलता का कारण बना है। "

23. धारा 221 और दंड प्रक्रिया संहिता धारा 464 के सादे भाषा से जुड़े अर्थ को ध्यान में रखने के बाद, इस न्यायालय ने दिनेश सेठ-सुप्रा मामले में राय दी हैः

"11. धारा 221 (1) और (2) की सरल भाषा को पढ़ने से पता चलता है कि यदि कोई एक कार्य या कृत्यों की एक श्रृंखला कई अपराधों का गठन करती है और अभियोजन पक्ष विशेष अपराध के बारे में निश्चित नहीं है तो अभियुक्त पर सभी, कुछ या किसी भी अपराध को करने का आरोप लगाया जा सकता है।ऐसे मामले में अभियुक्त को उस अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जिसके लिए उस पर विशेष रूप से आरोप नहीं लगाया गया हो, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य साबित करता है कि वास्तव में ऐसा अपराध किया गया है।

12. धारा 222 (1) में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति पर कई विवरणों से युक्त अपराध का आरोप लगाया जाता है और केवल कुछ विवरणों का संयोजन एक मामूली अपराध का गठन करता है तो उसे उस मामूली अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जिसके लिए उस पर आरोप नहीं लगाया गया हो।धारा 222 (2) में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया जाता है, लेकिन तथ्य साबित होते हैं कि वह एक मामूली अपराध है तो वह 943 कर सकता है।

इस तथ्य के बावजूद कि उस पर उस अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है, नाबालिग अपराध का दोषी ठहराया जाए।धारा 222 की उप-धारा (3) में कहा गया है कि अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति को इस तरह का अपराध करने के प्रयास के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उस कारण से एक अलग आरोप नहीं विरचित गया हो।

13. धारा 464 (1) में कहा गया है कि आरोप तय करने में कोई भी त्रुटि, चूक या अनियमितता, जिसमें आरोप का कोई गलत जवाब भी शामिल है, सक्षम क्षेत्राधिकार वाले

न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश, सजा या आदेश को तब तक अमान्य नहीं करेगी जब तक कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता कि न्याय की विफलता हुई है।धारा 464 की उप-धारा (2) में वे तरीके निर्दिष्ट किए गए हैं जिन्हें अपील, प्रत्यर्पण या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अपनाया जा सकता है, यदि ऐसे न्यायालय की राय है कि आरोप न लगाए जाने या आरोप तय करने में किसी त्रुटि, चूक या अनियमितता के कारण न्याय की विफलता हुई है। "

24. उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, जो प्रश्न उत्पन्न होगा वह हैःक्या तत्काल मामले में आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 376 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है?धारा306 निम्नानुसार हैः

“306. आत्महत्या के लिए उकसाना।—यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी इस तरह की आत्महत्या के लिए उकसाता है, उसे दस साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, और वह दंडनीय भी होगा। "

धारा306 के अंतर्गत आत्महत्या के मूल तत्व आत्महत्या की मृत्यु और उसे उकसाना है। उकसाने के तत्वों को आकर्षित करने के लिए, मृतक की सहायता करने या उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाने या उकसाने का आरोपी का इरादा आवश्यक होगा।

25. इस समय यह आवश्यक होगा कि मृतक द्वारा अपनी मृत्यु घोषणा Ex.P-45 में दिए गए बयान को नोट किया जाए जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः“मुझे दहेज के लिए शादी में XXX दिया गया है, वे सभी मुझे यह कहकर परेशान कर रहे थे कि मेरे पिता ने कम दहेज और पारंपरिक उपहार दिए थे

दूल्हे के लिए।चूंकि मैं यातना को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सुबह लगभग 6 बजे 20.12.2010 पर हमारी जमीन में स्थित छाया में मुझ पर पानी डाल दियाः30 7 तकः00.मेरे पति XXX बागलकोट शहर।” (हमारे द्वारा दिया गया जोर)

/

[2023] 15 एस सी आर।

26. निम्नलिखित न्यायालय ने अपने निर्णय के लिए बिंदु संख्या 1 तैयार किया था जो प्रभावी अधिनियम के लिए हैःक्या मृतक अक्कमहादेवी ने आत्महत्या कर ली थी?और, उसी का जवाब देते हुए कहा कि मृतक की मृत्यु जलने की चोटों के कारण हुई थी जो उसे आत्मदाह के कारण लगी थी।क्रूरता के कृत्य को किसी और ने नहीं बल्कि खुद पीड़ित ने अपनी मृत्यु घोषणा Ex.P-45 में स्पष्ट किया है।उसने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सभी आरोपी यह कहकर उसे परेशान कर रहे थे कि उसके पिता ने उसके पति को कम दहेज और पारंपरिक उपहार दिए थे और इस मानसिक यातना को बर्दाश्त करने में असमर्थ होने के कारण, उसने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन खुद को दोषी ठहराया था।कहा जाता है कि पति, ससुर और सास होने के

नाते आरोपी ने मृतक को परेशान किया, उसके साथ क्रूरता की और मृतक ने अपनी मृत्यु घोषणा में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।इस प्रकार, चारों दीवारों के भीतर हुई यातना पीड़ित के बयान द्वारा समर्थित है और हमारे द्वारा स्वीकार किए गए मृत्यु घोषणा के आधार पर साबित होती है।यह यातना का कार्य है जिसके कारण मृतक ने आत्महत्या कर ली और इन कृत्यों ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया है।27. आरोप तय करने में चूक न्यायालय को अभियुक्त को अपराध के लिए दोषी ठहराने से अक्षम नहीं करती है जो रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर साबित हुआ है।संहिता में हमारे सामने जैसी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।धारा 304 बी के अंतर्गत बनाए गए आरोप के बयान और वैकल्पिक धारा 307 में यह स्पष्ट है कि धारा 304 बी के अंतर्गत आरोप विरचित करने के लिए सभी तथ्य और तत्व मौजूद थे।498 ए के साथ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा306 का उल्लेख करने के लिए ट्रायल जज की ओर से केवल चूक इस न्यायालय को साबित होने पर उक्त अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने से नहीं रोकेगी।भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 बी के अंतर्गत बनाए गए आरोप में, यह स्पष्ट विरचित से उल्लेख किया गया है कि आरोपी ने मृतक को इस तरह की क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया है कि वह उसे आत्मदाह करके आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे और इस तरह से विशिष्ट सी आरोप का निर्माण न करना तत्काल मामले में घातक नहीं होगा क्योंकि आरोपी के साथ कोई अन्याय नहीं किया जा रहा है।

28. के. प्रेमा एस. राव और ए. एन. आर. बनाम यादला श्रीनिवास राव में यह न्यायालय

और अन्य (2003) 1 एस. सी. सी. 217 ने अभिनिर्धारित किया है कि आरोप तय करने में केवल चूक या दोष घातक नहीं होगा यदि धारा 304 बी के अंतर्गत आरोप के विवरण और वैकल्पिक धारा 498 ए में यह स्पष्ट है कि मामले में धारा306 के अंतर्गत आरोप तय करने के लिए सभी तथ्य और तत्व मौजूद हैं, तो वही पर्याप्त होगा।यह आगे अभिनिर्धारित किया गया था किः

945

परनगौड़ा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 946

"22. आरोप तय करने में केवल चूक या दोष आपराधिक न्यायालय को अभियुक्त को अपराध के लिए दोषी ठहराने से अक्षम नहीं करता है जो रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर साबित हुआ है।दंड प्रक्रिया संहिता में हमारे सामने जैसी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। धारा 304-बी के अंतर्गत बनाए गए आरोप के बयान और वैकल्पिक धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता सी. (जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है) से यह स्पष्ट है कि मामले में भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के अंतर्गत अपराध के लिए आरोप विरचित करने के लिए सभी तथ्य और तत्व मौजूद थे।भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498-ए के साथ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 का उल्लेख करने के लिए ट्रायल जज की ओर से केवल चूक न्यायालय को साबित होने पर उक्त अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने से नहीं रोकती है।भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498-ए के अंतर्गत बनाए गए वैकल्पिक आरोप

में, यह स्पष्ट विरचित से उल्लेख किया गया है कि आरोपी ने मृतक को ऐसी क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया कि वह उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सके।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 221 के प्रावधान ऐसी स्थिति का ध्यान रखते हैं और किसी अभियुक्त को उस अपराध के लिए दोषी ठहराने की आपराधिक न्यायालय की शक्तियों की रक्षा करते हैं जिसके लिए उस पर आरोप नहीं लगाया गया है, हालांकि साक्ष्य में पाए गए तथ्यों पर, उस पर इस तरह के अपराध के लिए आरोप लगाया जा सकता था।धारा 221 सी. आर. पी. सी. को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता हैः

"221. जहाँ यह संदिग्ध है कि क्या किया गया है।—(1) यदि ए.

एकल कार्य या कृत्यों की श्रृंखला ऐसी प्रकृति का है कि यह संदेह है कि कई तथ्यों में से कौन सा तथ्य जो साबित किया जा सकता है, वह गठित होगा, अभियुक्त पर ऐसे सभी या किसी भी अपराध को करने का आरोप लगाया जा सकता है, और ऐसे किसी भी आरोप की संख्या पर तुरंत मुकदमा चलाया जा सकता है; या उस पर वैकल्पिक रूप से उक्त अपराधों में से किसी एक को करने का आरोप लगाया जा सकता है।

(2) यदि ऐसे मामले में अभियुक्त पर एक बार का आरोप लगाया जाता है, और यह साक्ष्य में प्रतीत होता है कि उसने एक अलग अपराध किया है जिसके लिए उस पर उप-धारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत आरोप लगाया गया हो सकता है, तो उसे उस अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जो उसने किया था, हालांकि उस पर इसका आरोप नहीं लगाया गया था। "

23. उक्त धारा की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 221 की उप-धारा (2) के प्रावधान को अभियुक्त 1 को अपराध के लिए उकसाने के अपराध के लिए दोषी ठहराने और सजा देने में सहायता ली जा सकती है।

भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498-ए के साथ या उसके बजाय भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के अंतर्गत आत्महत्या।

/

[2023] 15 एस सी आर।

24. धारा 215 आपराधिक न्यायालय को आरोप में बताए जाने वाले विवरणों में से किसी भी त्रुटि को नजरअंदाज करने की अनुमति देती है, यदि अभियुक्त वास्तव में आरोप तैयार करने में इस तरह की त्रुटि या चूक से गुमराह नहीं हुआ था और उसने न्याय की विफलता का कारण नहीं बना है।सी. आर. पी. सी. की धारा 215 देखें जिसमें लिखा हैः

"215. त्रुटियों के बारे में।—अभियोग या आरोप में बताए जाने के लिए आवश्यक विवरणों को बताने में कोई त्रुटि नहीं, और अपराध या उन विवरणों को बताने में कोई चूक, मामले के किसी भी स्तर पर सामग्री के रूप में नहीं मानी जाएगी, जब तक कि आरोपी वास्तव में ऐसी

त्रुटि या चूक से गुमराह नहीं हुआ था, और इसने न्याय की विफलता का कारण बना दिया है।
"

25. जैसा कि धारा 215 सी. आर. पी. सी. में प्रावधान किया गया है, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के अंतर्गत आरोप तय करने में चूक के परिणामस्वरूप न्याय की कोई विफलता नहीं हुई है।हमें भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के अंतर्गत आरोप तय करने के लिए मामले को निचली विचारण न्यायालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है और उस आरोप के लिए फिर से सुनवाई का निर्देश देते हैं।अभियुक्त भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के अंतर्गत आरोप का बचाव करने के लिए किसी भी अवसर की कमी और इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता की वैध रूप से शिकायत नहीं कर सकता है।साक्ष्य में पाए गए वही तथ्य, जो अपीलार्थी को उसकी पत्नी के साथ क्रूर व्यवहार के लिए धारा 498-ए के अंतर्गत दोषी ठहराने को सही ठहराते हैं, उसके खिलाफ पत्नी द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के अंतर्गत मामला बनाते हैं।अपीलार्थी पर धारा 304-बी के अंतर्गत "दहेज मृत्यु" का कारण बनने वाली उच्च डिग्री के अपराध के लिए आरोप लगाया गया था, जो न्यूनतम सात साल के कठोर कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा के साथ दंडनीय है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के अंतर्गत उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए के अंतर्गत क्रूरता का गठन करने वाले तथ्यों पर भी अनुमान लगाया जा सकता है। अपीलार्थी को बचाव का कोई और अवसर देने की आवश्यकता नहीं है जब उसे भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498-ए के अंतर्गत आरोप को पूरा करने का पर्याप्त अवसर मिला हो।29. उपरोक्त पृष्ठभूमि और अभिलेख पर साक्ष्य में, जैसा कि हमने पहले ही ऊपर देखा है, यह सुरक्षित विरचित से नोट किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय को इस बात की जांच करनी चाहिए थी कि क्या अभियुक्त को एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता था जिसके लिए कोई आरोप नहीं बनाया गया था और इस तरह की कवायद नहीं करने से न्याय की विफलता होगी?इस प्रकार, वर्तमान मामले में सामने आए तथ्यों से यह देखना होगा कि क्या अभियुक्त को उन बुनियादी तत्वों के बारे में पता था जिनके लिए उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है और क्या उनके खिलाफ स्थापित किए जाने वाले मुख्य तथ्यों की व्याख्या की गई थी।

परनगौड़ा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य [अरविंद कुमार, जे.]

उन्हें स्पष्ट रूप से और क्या उन्हें अपना बचाव करने का उचित मौका मिला।यदि उत्तर प्रत्यावेदन में है, तो अनिवार्य रूप से इस न्यायालय को आगे बढ़ना होगा और इस बात की जांच करनी होगी कि क्या अभियुक्त को आरोपित नहीं किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और यदि उत्तर नकारात्मक है तो इसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को उक्त अपराध के लिए बरी कर दिया जाएगा।तत्काल मामले में मृतक की मृत्यु घोषणा से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि मृतक मानसिक रूप से आघातग्रस्त थी और वह आरोपी

व्यक्ति द्वारा दी गई यातना और उत्पीड़न को बर्दाश्त करने में असमर्थ थी जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली।यह तानाशाही या मानसिक यातना है जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसे आत्मदाह करने के लिए मजबूर कर दिया।मामले के उस दृष्टिकोण से, हमारी यह सुविचारित राय है कि अभियुक्त व्यक्ति भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, हालांकि आरोप नहीं विरचित गया था।अभियुक्त (अपीलार्थी Nos.1 और 2) की आयु अब क्रमशः लगभग 66 और 61 वर्ष है।वे पहले ही एक साल, एक महीना और 27 दिन जेल में बिता चुके हैं।उनके पास आपराधिक रिकॉर्ड का कोई पिछला इतिहास नहीं है।इसलिए, सजा सुनाते समय एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

30. ऊपर बताए गए कारणों से अपील को आंशिक रूप से अनुज्ञात जाती है।सत्र न्यायालय द्वारा 2011 के एस. सी. No.35 दिनांक 14.09.2012 में पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को 2012 की आपराधिक अपील No.2847 में दिनांक 20.07.2022 के निर्णय द्वारा संशोधित किया गया है।अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 बी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए बरी कर दिया जाता है और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 376 और धारा 498 ए के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और प्रत्येक को पहले से ही Rs.5000 की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है और प्रत्येक अपराध के लिए एक महीने के साधारण कारावास से गुजरना पड़ता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील की आंशिक रूप से अनुज्ञात है।

निधि जैन